



## 306861 - अज्ञान के अलावा अन्य स्थान पर 'वसीला' की दुआ करना

### प्रश्न

अज्ञान के अलावा जगहों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए वसीला की दुआ करने का क्या हुक्म है? क्योंकि मैं सज्दों में और यहाँ तक कि सफ़ा और मर्वा के पास दुआ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए वसीला की दुआ किया करता था। तथा क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित दुआओं के वाक्यों के क्रम को बदलना जायज़ है?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम :

दुआ के विषय में मूल बात यह है कि वह जायज़ है, जब तक कि उसमें कोई निषिद्ध तत्व न हो जैसे कि पाप की दुआ करना।

पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए वसीला की दुआ करना, अर्थात् यह कहना :

"अल्लाहुम्मा आति मुहम्मद-निल वसीलता वल फज़ीलता वब्-अस्तु मक्रामन महमूदा अल्लज़ी व-अदतह" (ऐ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को "वसीला" (स्वर्ग में एक विशेष स्थान) और प्रतिष्ठा प्रदान कर, और उन्हें "मक्रामे महमूद" पर पहुँचा जिसका तूने उनसे वादा किया है।)

यह एक अच्छी दुआ है, जिसका अर्थ सुंदर है और सुन्नत से प्रमाणित है। इसलिए दुआ के स्थानों में इसके साथ दुआ करने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, अगरचे उस जगह में हो जिसके बारे में सुन्नत वर्णित है, हमें उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं दिखाई देती है।

लेकिन मुसलमान को चाहिए कि दुआ के प्रत्येक स्थान पर, सबसे पहले उन दुआओं का लालायित बने जो विशिष्ट रूप से उस स्थान के लिए प्रमाणित हैं, और फिर वह इसके बाद जो भी वैध (धर्मसंगत) दुआएँ मांगना चाहे मांगे। और उन्हीं में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिए वसीला और मक्रामे महमूद की दुआ है।

दूसरा :

मुसलमान को चाहिए कि सुन्नत में वर्णित दुआओं के शब्दों के क्रम की पाबंदी करे ; क्योंकि इसमें पैगंबर सल्लल्लाहु



अल्लैहि व सल्लम का पूर्ण अनुसरण पाया जाता है।

अल्लाह तआला ने फरमाया:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

سورة الأحزاب : 21

"वास्तव में तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक अच्छा आदर्श है, जो अल्लाह और अंतिम दिन की आशा रखे और अल्लाह को अधिक से अधिक याद करे।" (सूरतुल अहज़ाब: 21).

तथा अगर दुआ करने वाला अरबी भाषा का बोध नहीं रखता है, तो उसका दुआ के शब्दों को उलटना पलटना (बदलना) अर्थ में बदलाव का कारण बन सकता है।

"इफ़ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति के फ़तावा" में आया है :

"दुआओं का अध्याय व्यापक है, इसलिए बंदे को चाहिए कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ में अपने पालनहार से दुआ करे, जिसमें कोई पाप न हो।

जहाँ तक मासूर (अर्थात् हदीस से प्रमाणित) दुआओं और अज़कार का संबंध है, तो उनमें मूल सिद्धांत शरीयत की पाबंदी करना है, मूल शब्द और संख्या के संदर्भ में। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि इस पर ध्यान दे और उसकी पाबंदी करे। चुनाँचे न तो निर्धारित संख्या में वृद्धि करे और न मूल शब्द में। न उसमें कमी करे और न तो उसमें हेर-फेर करे।

अल्लज्जह अदाइमह लिल-बुहूस अल इल्मिय्या वल इफ़ता

अब्दुल्लाह बिन कऊद, अब्दुर-रज़ज़ाक अफ़ीफ़ी, अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़।"

“फ़तावा अल-लज्जह अद-दाइमह (24 / 203-204)” से उद्धरण साप्त हुआ।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।